न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम हिम्मत सिंह आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र 70 2023

निर्णय दिनांक 28.03.2024

1 कैलाश पुत्र रामसुखा

2 छुगनी पत्नी रामसुखा

3 नाथू लाल पुत्र रामसुखा जाति रैगर निवासी ग्राम दहमीकला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र मंगल चन्द जाति धोबी

2. रोशन पुत्र प्रभू जाति रैगर समस्त निवासी ग्राम दहमीकला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

3. राज. सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बाबत पत्थरगढी</u>

प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की भूमि खाता संख्या नया 437 खाता संख्या पुराना 416 के खसरा नम्बर 579, 580 कुल किता 2 कुल रकबा 2.027 हैक्टेयर वाके ग्राम दहमीकला पटवार हल्का

दहमीकला भू.अ.नि. ठीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित है। जिसका खातेदार प्रार्थीगण हैं। दिनांक 12–07–2023 को श्रीमान उपतहसीलदार बगरू तहसील सांगानेर के आदेश कमांक एलआर/2023/735–36 दिनाक 05–07–2023 की पालना में पटवारी हल्का दहमीकला मोके पर पहुंचा खसरा नम्बर 518 व 519 में [illegible] होने से भूमि में जरीब नही चलाई जा सकी तथा अन्य खातेदार अप्रार्थी जिनके खसरा नम्बर 581 व 581/1, 581/2 जो कि प्रार्थी की सीमा के लगवा के खसरा है ने सीमाज्ञान व पत्थरगढी नही करने दी। फर्द मौका लिखा गया। उपस्थितो ने पढ सुन कर हस्ताक्षर किये। अप्रार्थीगण की उक्त भूमि के पडौसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Himma
Date: 2024.04.16 12:39:0
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

खातेदार काश्तकार द्वारा प्रार्थी की उक्त भूमि में जबरन मजाहमत करने के कारण तथा प्रार्थी की अपनी सीमाओं को महदूद करने की गुरेज से पत्थरगढी व सीमाज्ञान करवाना अत्यन्त आवश्यक हो गया हैं। इसलिए प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि की नियमानुसार सीमाज्ञान व पत्थरगढी किया जाना नितान्त आवश्यक हैं। अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 मुतदाविया आराजी के पडोसी खातेदार काश्तकार होने से पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। प्रार्थीगण अपनी खेत सीमा को सुरक्षित रखने व पडोसी खातेदरो से लडाई झगडे से निजात पाने के लिये उक्त भूमि की सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना कानूनी आवश्यकीय है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 437 खाता संख्या पुराना 416 के खसरा नम्बर 579, 580 कुल किता 2 कुल रकबा 2.027 हैक्टेयर वाके ग्राम दहमीकला पटवार हल्का दहमीकंला भू.अ.नि. ठीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर की सीमाज्ञान व पत्थरगढी जरिये पुलिस ईमदाद किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। दिनांक 22.03.2024 को पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण की ओर से बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामिल कोई भी उपस्थित नही होने से अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गई।

पत्रावली में बहस प्रार्थीगण सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि ग्राम दहमीकला पटवार हल्का दहमीकंला भू.अ.नि. ठीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 437 खाता संख्या पुराना 416 के खसरा नम्बर 579, 580 कुल किता 2 कुल रकबा 2.027 हैक्टेयर की सीमाज्ञान व पत्थरगढी जरिये पुलिस ईमदाद किये जाने के आदेश प्रदान करें।

हमने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता [illegible] यदि अन्य किसी दिगर न्यायालय का स्थगन आदेश [illegible] सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र लेकर, अपने स्तर पर टीम [illegible] वाके ग्राम दहमीकंला पटवार हल्का दहमीकंला भू.अ.नि. ठीकरिया तह[illegible] सांगानेर जिला जयपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 437

[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat
Date: 2024.04.16 12:39:08
Reason: SelfAttested

खाता संख्या पुराना 416 के खसरा नम्बर 579, 580 कुल किता 2 कुल रकबा 2.027 हैक्टेयर की प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को सूचित कर, सभी की उपस्थिति में नियमानुसार सीमाज्ञान कर, सीमाज्ञान–रिपोर्ट के अनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें। आवश्यकता अनुसार पुलिस इमदाद लेवे।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.04.16 12:39:08 IST
Reason: SelfAttested